बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, बेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 12/09/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ स्था० 2(8)19/2024 (खण्ड-IV) 2656 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा राजपुर पैक्स, प्रखंड- राजपुर, जिला- रोहतास का निर्वाचन संपन्न हुआ था। निर्वाचन के पश्चात् सामान्य कोटि के प्रबंधकारिणी सदस्यों को प्राप्त मतों का पुर्नगणना कराने हेतु निर्वाचन विवाद वाद संख्या- 605/2024 दायर किया गया था। न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा निर्वाचन विवाद वाद संख्या- 605/2024 में ज्ञापांक 1997 दिनांक 08.09.2025 द्वारा राजपुर पैक्स, प्रखंड- राजपुर, जिला- रोहतास के प्रबंध समिति के सामान्य कोटि के सदस्यों को प्राप्त मतों की पुर्नमतगणना कराने एवं तदनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित करने का आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त आदेश के आलोक में **राजपुर पैक्स, प्रखंड- राजपुर, जिला- रोहतास के प्रबंध समिति के सामान्य कोटि के सदस्यों को प्राप्त मतों की पुर्नमतगणना कराने एवं तदनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित करने हेतु** निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	मतगणना	19.09.2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 8:00 बजे से
(ii)	निर्वाचन परिणाम की घोषणा	19.09.2025 (शुक्रवार) (मतगणना के तुरंत पश्चात)

2. चूँकि प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- तत्कालीन निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), राजपुर द्वारा मतगणना की प्रक्रिया में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं करने का जिक्र न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश में है, अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर को पुर्नमतगणना के कार्य से अलग रखने का आदेश दिया जाता है।

3 जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), रोहतास द्वारा पुर्नमतगणना के कार्य हेतु जिले के किसी वरीय उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में उपरोक्त कार्यक्रम हेतु पदनामित किया जाएगा। इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राधिकार को दिनांक 17.09.2025 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. पुर्नमतगणना के पश्चात् निर्वाचन परिणाम परिवर्तित होने की स्थिति में संशोधित प्रपत्र- ई० 18 प्राधिकार के वेबसाईट पर दिनांक 20.09.2025 तक अपलोड कराने की जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी द्वारा नामित नवनियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी की होगी और जिला सहकारिता पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे। उपरोक्त वर्णित पूरे कार्यक्रम की विडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी।

अनुलग्नकः यथोक्त।

12/9/25

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2656 पटना/ दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2656 पटना/ दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2656 पटना/ दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2656 पटना/ दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2656 पटना/ दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ संयुक्त सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव।

(51)

न्यायालय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना

निर्वाचन विवाद वाद संख्या–605/2024

विजेन्द्र कुमार
बनाम
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं अन्य।

आदेश

06.08.2025
08.09.2025

प्रस्तुत निर्वाचन विवाद वाद बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा–48 के तहत वादी विजेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के समक्ष दायर किया गया है। उक्त वाद को विधिवत सुनवाई एवं विधिसम्मत निस्तार हेतु न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 39/RL दिनांक 27.01.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को हस्तांतरित किया गया है।

वादी के द्वारा दायर किये गये वाद के विरूद्ध अधिग्रहण एवं वाद में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष रखने हेतु अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित पक्षकारों को सूचना दी गई। प्रस्तुत निर्वाचन विवाद वाद के सुनवाई के क्रम में वादी विजेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या–02 प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर प्रतिवादी संख्या–04 एवं प्रतिवादी संख्या– 07–14, 16, 18 एवं 20 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सुनवाई कर विधिसम्मत निस्तार हेतु वाद को अधिग्रहित करते हुए वाद की विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार राजपुर पैक्स बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम–1935 के तहत निबंधित समिति है जो अधिनियम, 1935 के तहत संचालित होती है, एवं इसका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है।

विषयांकित समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक–1871 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा कराया गया जिसमे वादी को 293 एवं प्रतिवादी संख्या–05 को 279 प्राप्त हुए थे लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए निर्वाचन के परिणाम को बदल दिया गया एवं निर्वाचन के 04 दिनों के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 की जगह प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 को निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया गया। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–04 द्वारा विरोध किया गया। उक्त के आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मतदान केन्द्रवार प्राप्त मतों का ब्योरा मंगवाने एवं अवश्यकता होने पर सामान्य कोटि के प्रबंधकारिणी सदस्यों का पुर्नमतगणना कराने का अनुरोध किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 264 दिनांक 05.12.2024 को प्रपत्र–ई–18 निर्गत किया गया जिसमें वादी एवं

(410)

प्रतिवादी संख्या–05 सामान्य कोटि से प्रबंधकारिणी समिति सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये। पुनः निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 264 दिनांक 05.12.2024 द्वारा ही प्रपत्र–ई–18 निर्गत किया गया जिसमे प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई–18 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के बेवसाईट पर दिनांक 09.12.2024 को अपलोड किया गया जबकि निर्वाचन परिणाम की घोषण दिनांक 05.12.2024 को की गयी थी। इस संबंध में वादी द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास को आवेदन देकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 को निर्वाचित करने का अनुरोध किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी बताया गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर सामान्य कोटि के मतदान केन्द्रवार गणना पत्र में त्रुटिपूर्ण गणना की गयी एवं सूचना के अधिकार के माध्यम से मतदान केन्द्रवार गणना सीट की मांग करने पर इसे देने से इंकार कर दिया गया। इस कारण वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सामान्य कोटि के प्रबंध समिति के सदस्यों का मतदान केन्द्रवार गणना प्रपत्र मंगवाने तथा उक्त कोटि के प्राप्त मतो का पुर्न मतगणना कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुर्न मतगणना के आधार पर अधिकतम प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने की मांग की गयी।

प्रतिवादी संख्या–14 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि वे प्रतिवादी संख्या–07 से 13, 16 और 18 से 20 की ओर से पक्ष रखने हेतु अधिकृत है। उनके द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्ता के दायर निर्वाचन विवाद वाद तथ्यों एवं परिस्थिति से परे है एवं खारिज करने योग्य है। उनके द्वारा कहा गया कि राजपुर पैक्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति का चुनाव दिनांक 03.12.2024 को हुआ था। जिसका परिणाम दिनांक 05.12.2024 को घोषित किया गया था जिसमें सभी प्रतिवादी संख्या–06 से 10 तक को निर्वाचित घोषित किया गया था एवं दिनांक 05.12.2024 को सभी निर्वाचित व्यक्तियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया था। निर्वाचन परिणाम में श्री शोभनाथ कुमार प्रतिवादी संख्या–04 को प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निर्वाचित अध्यक्ष एक दबंग किस्म के व्यक्ति है। उनका आचरण निर्वाचित प्रबंध समिति सदस्यों के साथ ठीक नहीं था। वे मनमाने ढंग से पद का दुरूपयोग करते हुए कार्य कर रहे थे जिस कारण निर्वाचित 12 सदस्यों में से 08 सदस्य यथाः–भवानी सिंह प्रतिवादी संख्या–07, नीरज कुमार प्रतिवादी संख्या–08, सुमन कुमारी प्रतिवादी संख्या–09, दशरथ साह, प्रतिवादी संख्या–10 एवं पूजा कुमारी, शोभा कुमारी, दीपक कुमार एवं तारा मुनी के द्वारा दिनांक 12.12.2024 को जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के समक्ष दिनांक 10.12.2024 के शपथ पत्र के साथ त्याग पत्र दे दिया था। जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या–04 अपने पद का दुरूपयोग करते हुए

समिति के प्रस्ताव पर जबरन हस्ताक्षर लेना चाहते है। उक्त त्याग पत्र के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास ने ज्ञापांक 4060 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा सदस्यता से त्याग पत्र देने वाले सभी सदस्यों को दिनांक 21.12.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं त्याग पत्र का कारण कार्यालय मे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त सभी 08 सदस्यों निर्धारित तिथि को जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय में उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखते हुए त्याग पत्र प्रस्तुत किये। जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा उक्त 08 सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया एवं प्रतिवादी संख्या–04 के पक्ष में समिति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव बनाया गया। तत्पश्चात उक्त 08 सदस्यों ने संयुक्त निबंधक कार्यालय, बिहार, पटना मे दिनांक 26.12.2024 को आवेदन देते हुए त्याग पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। जब कहीं से भी त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया तो उक्त 08 सदस्यों ने पुनः प्रबंध समिति के समक्ष दिनांक 20.01.2025 को अनुरोध किया गया कि वे त्याग पत्र स्वीकार कर ले। सामान्य परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा एल॰पी॰ए॰ संख्या–2029/2015 (इन्द्रदेव प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य) और सी॰ डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या–16746/2015 (दरोगा साहनी एवं अन्य बनामा बिहार राज्य) में यह पहले ही माना जा चुका है कि ऐसी स्थिति मे सहकारी समिति की प्रबंध समिति को तत्काल प्रभाव से हटाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है साथ ही निर्वाचन होने तक प्रशासक की नियुक्ति का आदेश भी दिया गया है। तदालोक में त्याग पत्र देने वाले सभी व्यक्तियों ने दिनांक 04.02.2025 को जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास के समक्ष आवेदन दिया कि राजपुर पैक्स को अवक्रमित करते हुए प्रशासक की नियुक्ति की जाय। इसको प्रभावित करने के लिए याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय निबंधक के न्यायालय में निर्वाचन वाद संख्या–605/2024 दायर किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया अभिकथन पूर्णतः भ्रामक है एवं जब 12 प्रबंधकारिणी सदस्यों में से 08 सदस्यों के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया तो पुर्न मतगणना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध समिति को अवक्रमित करते हुए प्रशासक नियुक्त करना ही विकल्प है। जहाँ तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए निर्वाचन परिणाम बदलने का आरोप है वह विल्कुल असत्य एवं अनुचित है। उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का चुनाव विवाद मामला स्वीकार करने योग्य नहीं है एवं खारिज करने योग्य है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पूरक प्रत्युत्तर में अंकित किया है कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्वाचन विवाद वाद संख्या–605/2024 में उठाये गये बिन्दुओं का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार उन्होने वादी के दावे को स्वीकार कर लिया है। उन्होने अपनी बातो को दोहराते हुए कहा है कि वादी को 293 एवं प्रतिवादी संख्या–05 को

408

279 मत प्राप्त होने के बावजूद निर्वाचन पदाधिकारी ने भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 को निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्वाचन के 04 दिनो के बाद दिनांक 09.12.2024 को दे दिया जबकि निर्वाचन प्रमाण पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 को मिलना चाहिए था। उनका यह कहना है कि दिनांक 05.12.2024 की जगह 09.12.2024 को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के बेवसाईट पर प्रपत्र–ई–18 अपलोड करना उनकी बातो को प्रमाणित करता है। उनका यह भी कहना है कि जब निर्वाचन प्रमाण पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 को न देकर प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 को दे दिया गया तो ऐसी स्थिति में उनका अपने पद से त्याग पत्र देना कोई मायने नहीं रखता है। उनका त्याग पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। चूँकि प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 निर्वाचन प्रमाण पत्र के वास्तविक हकदार नहीं है अतः बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 41(5) के आलोक में कोरम का पूरा नहीं होना स्वीकार करने योग्य नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने पुनः अंकित किया है कि इसी कारण उनके द्वारा मतदान केन्द्रवार गणना प्रपत्र एवं पुर्न मतगणना की मांग की गयी थी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक विजेता कौन है।

प्रतिवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंकित किया गया है कि राजपुर पैक्स का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 द्वारा किया गया है जिसके अन्तर्गत धारा–10 के तहत चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान है तथा धारा–12 के तहत चुनाव याचिका में उठाये जाने वाले आधार एवं धारा–13 के तहत संभावित अनुतोष और धारा–14 के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का उल्लेख है। किसी भी चुनाव याचिका का परीक्षण उक्त कानून के दायरे मे किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा–12(1)(घ)(iii) के तहत पुर्न मतगणना और धारा–13(1) ख के तहत यह प्रावधान है कि क्या निर्वाचित उम्मीदवार ने भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त किए है। उनका कहना है कि याचिकाकर्त्ता के द्वारा स्वयं और प्रतिवादी संख्या–05 के पक्ष में डाले गये वास्तविक वैध मतो का पता लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रबंध समिति के सदस्यों के डाले गये मतों की पुर्न मतगणना की मांग की गयी है। पुंर्न मतगणना के बाद " यदि आवश्यक हो" निर्वाचन प्रमाण पत्र पुनः जारी करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा " यदि आवश्यक हो " शब्द पर जोर दिया गया है। इस प्रकार राहत और दलील दोनो ही दावे का आधार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि याचिका कर्ता द्वारा मतगणना के परिणाम स्वरूप स्वयं को 293 मत मिलने एवं प्रतिवादी संख्या–05 को 289 मत मिलने का दावा किया गया है लेकिन परिणाम प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 के पक्ष में जारी करने का आरोप लगाया गया है। तदोपरान्त दिनांक 10.12.2024 को निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा प्रतिवादी संख्या–09 को 176 एवं प्रतिवादी संख्या–150 मत मिलने बात कही गयी है। उनके द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के

मेमो संख्या–264 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा दो अलग–अलग परिणाम घोषित करने का आरोप लगाया गया है जिसमें एक में याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या–05 तथा दूसरे में प्रतिवादी संख्या–09 एवं 10 को निर्वाचित घोषित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा–12(1)(घ)(iii) के अनुसार निर्वाचन परिणाम का कोई भी मामला नहीं बनता है। प्रतिवादी संख्या–05 जो याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी संख्या–09 की जगह वास्तविक विजेता है। उनके द्वारा कभी भी कोई शिकायत नहीं की गयी है। स्पष्ट रूप से वह परिणाम से व्यथित नहीं है। याचिकाकर्ता उनके पक्ष में कोई भी तर्क नहीं दे सकते है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–05 के संबंध में कोई भी तथ्य प्रस्तुत करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के द्वारा किसी भी पदाधिकारी के समक्ष बिना शिकायत दर्ज कराये यह दावा करना कि वह विजेता हैं और निश्चित तिथि को प्रमाण पत्र लेने जाने पर उसे देने से इंकार कर दिया गया, उचित दलील नहीं है। निर्वाचन परिणाम का गणना प्रपत्र निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नहीं बल्कि मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक द्वारा तैयार किये जाते है, जिसकी जाँच सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जाती है। याचिकाकर्ता के द्वारा उनके खिलाफ कोई भी दलील नही दी गयी है साथ ही निर्वाचित अन्य 03 अभ्यर्थी के विरूद्ध भी कोई शिकायत नहीं की गयी है। याचिकाकर्ता के द्वारा दिये गये ऑकडों के अनुसार कुल वैध मत 3393 है जबकि कुल वैध मत निर्विवाद रूप से 3486 है। स्पष्टतः याचिकाकर्ता यह साबित करने मे सक्षम नहीं है कि उसे 293 एवं प्रतिवादी संख्या–10 को 150 मत मिले थे। ऐसी स्थिति में पुर्न मतगणना का कोई भी मामला नहीं बनता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा टेबलवार गणना कर्मचारियों, गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी है, और न ही यह सिद्ध होता है कि मतगणना में उपर्युक्त अधिकारियों को किसी के द्वारा प्रभावित किया गया था। मतगणना सीट बदलने का भी कोई आरोप नहीं है। यदि गणना सीट पर नियुक्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर है तो निर्वाचन परिणाम भी वही होगा। प्रतिवादी संख्या–05 को प्राप्त 240 मतो की जगह 289 मत होने का दावा केवल उनका मतगणना एजेन्ट ही कर सकता है। याचिकाकर्ता को इसका अधिकार नहीं है। याचिका में पुर्न मतगणना का मामला बनाने के लिए कानून मे अपेक्षित कोई भी तथ्य नहीं है। 2013(4)पीएलजेआर 533 ए0आई0आर0 2014एससी 1290 और सिविल अपील संख्या–4681/2000 के आदेश दिनांक 03.01.2001 में उक्त तथ्य को रखा गया है।

दिनांक 05.12.2024 को प्रतिवादी संख्या–04, 09 एवं 10 सहित उपस्थित सभी 09 निर्वाचित उम्मीदवारों को परिणाम उपलब्ध करा दिया गया था। शेष उम्मीदवारों के केवल अभिकर्ता ही उपस्थित थे। जिन्हें नियमतः निर्वाचन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया

408

जा सकता था। अन्य 03 निर्वाचित व्यक्ति दिनांक 08.12.2024 तक उपस्थित नहीं हो सके। दिनांक 09.12.2024 को प्रतिवादी संख्या–04 के द्वारा निर्वाचित 03 अन्य व्यक्तियों के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र बार–बार मांगा गया एवं उपद्रव किया गया जिसकी वजह से उनके उपर प्राथमिकी(199/2024) भी दर्ज की गयी। प्रपत्र–ई–18 निर्वाचन परिणाम के 24 घंटे के अन्दर अपलोड किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि प्रपत्र–ई–18 दिनांक 05.12.2024 की जगह दिनांक 09.12.2024 को अपलोड किया गया किसी तरह से सही नहीं है। याचिकाकर्ता के द्वारा 02 तरह का प्रपत्र–ई–18 प्राप्त करने का स्त्रोत नही बताया गया है।

दिनांक 20.06.2025 की सुनवाई में सभी पक्षों द्वारा न्यायालय को संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत मामलें की जाँच प्रशासनिक स्तर पर जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं उप विकास आयुक्त द्वारा की जा रही है। तदनुसार सुनवाई की अगली तिथि 16.07.2025 को न्यायालय के समक्ष वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उप विकास आयुक्त, रोहतास का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उप विकास आयुक्त–सह–नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), रोहतास ने अपने जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष अंकित किया गया है कि " *निर्वाचन पदाधिकारी, स॰स॰–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा दिनांक 24.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सुनवाई के क्रम में राजपुर पैक्स से संबंधित पैक्स निर्वाचन, 2024 का सामान्य कोटि के सदस्यों का प्रपत्र क(1), क(2) एवं क(3) की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। उक्त प्रपत्रों में से प्रपत्र क(1) अभ्यर्थियों के द्वारा बंडलवार प्राप्त मतों की संख्या में कई स्थान पर Over writing की गयी है तथा उसके समेकन मे अशुद्धि है, साथ ही प्रपत्र क(2) में भी कई स्थान पर Over writing की गयी है। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई मतगणना के विडियोग्राफी की सी.डी. को देखा गया। सी०डी० में राजपुर पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की घोषणा की रिकॉर्डिंग है, परन्तु सदस्य पद के उम्मीदवारों की घोषणा की रिकॉर्डिंग नहीं पाया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत मतगणना अनुदेश में वर्णित मार्ग निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है।*"

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य दिया है कि उप विकास आयुक्त रोहतास द्वारा अपने पत्रांक 1580 दिनांक 02.07.2025 द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को जो प्रतिवेदन भेजा गया है उसमें अंकित है कि मतगणना प्रपत्र K–01 एवं K–02 में कई त्रुटियाँ परिलक्षित है एवं यह अस्पष्ट और उपरिलेखन(*Over writing*) युक्त है। समिति के सामान्य सदस्यों के पद के घोषणा के समय विडियोग्राफी नही की गयी है जो पुर्न मतगणना के लिए प्रथमदृष्टया आधार बनता है। उनके द्वारा कहा गया कि चूँकि प्रतिवादी

संख्या–09 एवं 10 ने पहले ही त्याग पत्र दे दिया है और उनका त्याग पत्र रिकार्ड में है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–02 के द्वारा पुर्न मतगणना का विरोध किया जाना उचित नहीं है। अगर पुर्न मतगणना का परिणाम बदलता है तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 विजेता घोषित हो जायेगें और प्रबंध समिति फिर से कोरमयुक्त एवं कार्य करने की स्थिति में रहेगी।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि मतगणना मैनुअल के अध्याय–14 के कंडिका–02 एवं 03 तथा अध्याय–15 के कंडिका–06 का पालन नहीं किया गया है। मतपत्रों का बंडल 50 की संख्या के सापेक्ष नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार कई त्रुटियॉ मतगणना के क्रम में की गयी है। ऐसी स्थिति में पुर्न मतगणना ही एक मात्र विकल्प है।

उपर्युक्त वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सामान्य कोटि के प्रबंधकारिणी सदस्यों के मतो की पुर्न मतगणना की मांग की गयी है। साथ ही निर्धारित तिथि 05.12.2024 की जगह चार दिनों के पश्चात दिनांक 09.12.2024 को प्रपत्र–ई–18 अपलोड किए जाने के कारण निर्वाचन परिणाम पर संशय प्रकट किया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निर्वाचन विवाद दायर करने के कारण को ही उचित नहीं बताया गया है। चूँकि प्रबंधकारिणी समिति के 08 सदस्यों द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया गया है और समिति में कोरम के अभाव के कारण बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा–41(5) के तहत प्रबंध समिति को अवक्रमित करने का अनुरोध किया गया। जिस कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या–04 के द्वारा न्याय की दिशा को परिवर्त्तित करने के उदेश्य से निर्वाचन विवाद वाद दायर किया गया है। उनका कहना है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के बेवसाईट पर दिनांक 05.12.2024 को ही प्रपत्र–ई–18 अपलोड कर दिया गया है और मतगणना में कोई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है जिस कारण वादी का वाद खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्को/साक्ष्यों एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मतगणना की प्रक्रिया में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। *सामान्य कोटि के सदस्यों का प्रपत्र क(1), क(2) एवं क(3) प्रपत्रों में से प्रपत्र क(1) अभ्यर्थियों के द्वारा बंडलवार प्राप्त मतों की संख्या में कई स्थान पर Over writing की गयी है तथा उसके समेकन मे अशुद्धि है, साथ ही प्रपत्र क (2) में भी कई स्थान पर Over writing की गयी है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। उप विकास आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई मतगणना के*

(404)

विडियोग्राफी की सी0डी0 में राजपुर पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की घोषणा की रिकॉर्डिंग है, परन्तु सदस्य पद के उम्मीदवारों की घोषणा की रिकॉर्डिंग नहीं पाया गया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन एवं इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया का स्वच्छ एवं निष्पक्ष रहना आवश्यक है। उक्त के आलोक में वादी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए विषयांकित समिति के निर्वाचन में प्रबंधकारिणी के सामान्य कोटि के सदस्यों के प्राप्त मतों की पुर्न मतगणना एवं पुर्न मतगणना के आधार पर निर्वाचन परिणाम घोषित करने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

सभी संबंधितों को सूचित करें।

ह0/–
संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ
पटना प्रमंडल, पटना।

निबंधित डाक/ई–मेल

ज्ञापांक 1997 / विधि, पटना, दिनांक 08/09/2025

प्रतिलिपिः–

1. श्री विजेन्द्र कुमार, पिता–स्व॰ जगदीश प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मुख्य चुनाव पदाधिकारी, 32 हार्डिंग रोड, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाचन पदाधिकारी, राजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्रबंधक, राजपुर पैक्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सोभ नाथ, निर्वाचित अध्यक्ष, राजपुर पैक्स, पिता–श्री अशोक कुमार, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्रीमती संगीता देवी, पति–श्री बिनोद कुमार प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+ थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्रीमती सोभा देवी, पति–श्री चितरंजन प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+ थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्री भवानी सिंह, पिता–स्व॰ नथुनी सिंह, ग्राम–दयालगंज, पोस्ट+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. श्री नीरज कुमार सिंह, पिता–लाल बाबू सिंह, ग्राम–मिश्रवलिया, पोस्ट+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
10. श्रीमती सुमन देवी, पति–पप्पू प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+ थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
11. श्री दशरथ साह, पिता–स्व॰ शम्भू शरन, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
12. श्री अजय कुमार गुप्ता, पिता–स्व॰ लक्ष्म साह, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
13. श्रीमती कमल कान्ती देवी, पति–स्व॰ विजय प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
14. श्री जय प्रकाश मंडल, पिता–श्री छटटु साह, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15. श्री नीतिश कुमार, पिता–श्री प्रदीप कुमार, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
16. श्री बावूधन चौधरी, पिता–स्व॰ जगदीश प्रसाद, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
17. श्रीमती ममता देवी, पति–श्री उमेश कुमार, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
18. श्रीमती माधुरी देवी, पति–स्व॰ राधेश्याम साह, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
19. श्री मुन्ना कुमार सिंह, पिता–श्री जगदेव सिंह प्रसाद, ग्राम–प्रतापगंज, पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
20. श्री संजय प्रसाद, पिता–श्री रामजी साह, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
21. श्री संतोष सोनी, पिता–श्री नन्द कुमार, ग्राम+पोस्ट+थाना+प्रखंड–राजपुर, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
22. जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।
23. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰स॰), रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/25

संयुक्त निबंधक